सत्यमेव जयते

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

बिहार सरकार

संचिका संख्याः– मो०–46 / 20 (सांख्यिकी) 2202 कृ०,पटना दिनांक 22 मई, 2020

प्रेषक,

महत्वपूर्ण

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी,
गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया।

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture

विषयः– अप्रैल 2020 में 14–27 अप्रैल तक असामयिक अत्यधिक वर्षा / आँधी / ओलावृष्टि के कारण प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि अप्रैल 2020 में 14–27 अप्रैल तक असामयिक अत्यधिक वर्षा / आँधी / ओलावृष्टि के कारण प्रतिवेदित 19 जिलों के प्रतिवेदित 148 प्रखंडों में प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरण हेतु क्रियान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अनुदेश के अनुरूप कृषि इनपुट अनुदान वितरण का कार्य सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अविलम्ब अपर समाहर्ता, साहाय्य / प्रभारी पदाधिकारी, साहाय्य को नामित करते हुए उनका E-mail तथा Mobile No उपलब्ध कराये ताकि उन्हें Login ID एवं Password उपलब्ध कराया जा सके।

अनु० : क्रियान्वयन अनुदेश।

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2202 दिनांक : 22-05-2020

प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) / सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2202 दिनांक : 22-05-2020

प्रतिलिपि : सम्बन्धित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

ज्ञापांक : 2202 दिनांक : 22-05-2020

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2202 दिनांक : 22-05-2020

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक(शष्य), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(शष्य) योजना, बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक(उद्यान)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य) प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी पदाधिकारी, बजट, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य) दियारा एवं चौर विकास–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान योजना
(रबी 2019–20)

अप्रैल 2020 माह में दिनांक 14 से 27 अप्रैल तक असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रतिवेदित 19 जिलों यथा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज एवं अररिया के 148 प्रखंड यथा बैकुंठपुर, सिंधवलिया, मांझा, गोपालगंज, थावे, कुचायकोट, हथुआ, उचकागाँव, फुलवरिया, कटैया, पंचदेवरी, बोचहां, गायघाट, कटरा, औराई, मीनापुर, मुरौल, कुढ़नी, सरैया, कांटी, सकरा, मड़वन, साहेबगंज, मुशहरी, मधुबन, पताही, रामनगर, सुरसंड, परिहार, बथनाहा, सोनवरसा, चोरौत, नानपुर, बोखरा, बाजपट्टी, रून्नीसैदपुर, बेलसंड, परसौनी, डुमरा, मेजरगंज, शिवहर, डुमरी कटरसी, पुरनहिया, पिपराही, तरियानी, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, बहेड़ी, सिंघवाड़ा, जाले, मनिगाछी, बेनीपुर, अलीनगर, किरतपुर, कु० स्थान, कु० स्थान पूर्वी, रहिका, राजनगर, खजौली, बेनीपट्टी, हरलाखी, मधवापुर, झंझारपुर, लखनौर, खुटौना, दलसिंहसराय, सरायरंजन, रोसड़ा, मोरवा, हसनपुर, वारिसनगर, बेगूसराय, वीरपुर, भगवानपुर, बछवाड़ा, चेरियाबरियारपुर, खोदाबंदपुर, छौड़ाही, बखरी, नावकोठी, गढ़पुरा, पिपरिया, खगड़िया, चौथम, मानसी, गोगरी, परबत्ता, बेलदौर, अलौली, पिरपैंती, कहलगाँव, गोपालपुर, नवगछिया, खरीक, रंगरा चौक, इस्माईलपुर, नारायणपुर, बिहपुर, सबौर, कहरा, सत्तरकटैया, नवहट्टा, महिषी, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा, सौर बाजार, पतरघट, सलखुआ, बनमा इटहरी, सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, राघोपुर, प्रतापगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर, गम्हरिया, शंकरपुर, मुरलीगंज, कुमारखंड, उदाकिशुनगंज, ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, चौसा, पुरैनी, आलमनगर, कसबा, जलालगढ़, के० नगर, श्री नगर, बनमनखी, धमदाहा, भवानीपुर, रूपौली, बी० कोठी, डगरूआ, बायसी, अमौर, बैसा, किशनगंज, कोचाधामन, पोठिया, ठाकुरगंज, फारबिसगंज, रानीगंज एवं भरगामा में प्रभावित फसलों के लिए अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में।

1. योजना का लाभ :

1.1 राज्य में रबी/गर्मा, 2019–20 के दिनांक 14 से 27 अप्रैल तक हुई असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए प्रभावित किसानों को हुई क्षति की स्थिति को देखते हुए प्रतिवेदित जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित साहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा।

1.2 **अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि से हुये फसल क्षति के लिए निम्न रूप से अनुदान देय होगा :–**

a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर।